# अल्पकालिन सहकारी साख संरचना अन्तर्गत ''समाधान योजना'' के प्रभाव का शोध अध्ययन

**राजेश कुमार चौरागडे** [१]

## प्रस्तावना :

मध्यप्रदेश राज्य में त्रिस्तरीय अल्पकालिन सहकारी साख संरचना अन्तर्गत 'समाधान योजना' के प्रभाव के अध्ययन की आयोजना इसलिए महत्वपूर्ण ऍव रिसर्च का 'ज्वॅलंत विषय रही क्योंकि म. प्र. राज्य. की 4524 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के डिफाल्टर (ओव्हरडयू/कालातीत) कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटाने हेतु उक्त स्कीम फलीभूत रहीं जो किं आकडों से भी स्पष्ट है, जिससे बैंक का एनपीए भी कम हुआ जबकि समाधान योजना 30 नवम्बर 2018 को समाप्त हुई उस समय विधानसभा चुनाव का दौर था और सहकारी कृषि ऋण वसूली 30 जून पर समाप्त हो जाती है फिर भी वसूली का दौर निर्बाध चलता रहा । इससे अब कालातीत सदस्यों को जीरो प्रतिशय ब्याज दर पर ऋण सुविधा, 10 प्रतिशत अनुदान अर्थात अब मध्यप्रदेश का किसान रु. 0-100 लेकर जाता है और 90 ही वापसी करना होता है, भॉवातर योजना, फसल बीमा योजना तथा सामाजिक प्रतिष्ठा सहित अनेको लाभ विशेषकर प्राप्त हुए तथा उक्त मध्यप्रदेश सरकार ने सिर्फ सहकारी बैकों पर ही किसानों के हित में पैकेज लागू किया था ।

## 1) रुपरेखा :

अल्पकालिन सहकारी साख संरचना अन्तर्गत : 'समाधान योजना' के प्रभाव का शोध अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कालातीत सदस्यों से वैधानिक वसूली हेतु म.प्र. सहकारी अधिनियम में धारा 84, 85 ऍव धारा 64 में वाद दायर कर ''कार्ययोजना'' बनाकर तथा ''क्रिस योजना'' / सरसाई, अन्तर्गत वसूली करना लम्बी प्रक्रिया एवम् मानव संसाधन होना होता है । समाधान योजना के फलस्वरुप ऑन टेबल वसूली भी आना प्रॉरभ हुई तथा कालातीत किसानों का पलायन रुका साथही अकालातीत होकर शासन की विभिन्न योजनाओं का नियमित किसान होने से अनेको फायदे हुआ ।

## 2. मध्यप्रदेश राज्य का संक्षिप्त परिचय तथा पुरस्कार आयोजना :

भारत के मध्य में स्थित यथा दिल की संज्ञा से नवाजा तथा पॉच राज्यों की सीमा से लगा मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल 308000 वर्ग कि.मी. जो देश में दूसरा स्थान रखता है और देश का सबसे बडा वन क्षेत्र 94689.38 वर्ग कि.मी. का है, राज्य में भूमि जोतो की वर्ष 2010.11 पर 88.73 लाख तथा जलवायू जोन 11 भागों में बॅटी है, राज्य की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना पर 72.627 हजार है एवम् राज्य साक्षरता का प्रतिशत 69.3 है

राजेश कुमार चौरागडे, संकाय सदस्य, अपेक्स बॅक ट्रेनिंग कॉलेज भोपाल । मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बॅक मर्यादित, भोपाल

राज्य की मातृभाषा हिंन्दी है, तथा आजिविका का प्रमुख साधन कुल जनसंख्याॅ का 70 प्रतिशत कृषि पर आधारित है मध्यप्रदेश असीम संभावनाओ से भरा ''अनेकता में एकता'' से परिपूर्ण राज्य है.

पुरस्कार अंतर्गत मुख्यतया कृषि कर्मण पुरस्कार, ई–कोपरेटिव्ह पोर्टल आदि पर कृषि/ सहकारिता विभागों को सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्राप्त हो रहा है ।

## 3. उदेश्य :

अल्पकालिन सहकारी साख सहकारिता में 31.3.18 पर कुल कृषक 77.17 लाख जिसमें से उधारग्रहणकर्ता 44.61 लाख ऋणी सदस्य सहकारिता से संबंद्ध है । मध्यप्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि में लाभप्रदता हेतु डिफाल्टर कृषको को कृषि वित्त की मुख्य धारा में समाधान आयोजना से जोडा जाना ठीक वैसा ही है । जैसे जीवन हेतु रक्त का वैसे ही किसानो हेतु वित्त आवश्यकता की प्रतिपूर्ति समय सीमा में आवश्यकता अनुरूप हो तॉकि साहूकारी व्यवस्था खत्म हो सके ।

## अध्ययन का क्षेत्र :

1 राज्य में कृषि विकास हेतु वित्त आवश्यकता का ऑकलन ।

2 राज्य कृषि वित्त संबंधी किसानो की समस्याॅओ का अघ्ययन ।

3 कृषि वित्त आधारित कृषि/अकृषि/स्वंम सहायता समूह आदि ऋणों की संभॉवनाए/ समीक्षा ।

4 नाबार्ड सहायतित योजनाओं पर 'समाधान योजना' प्रभाव का ऑकलन ।

5 कृषि से आय दोगुना करने हेतु एवं केन्द्र प्रवर्तित आयोजनाओ का क्रियान्वयन ।

इस प्रकार ग्रामीण वित्त का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सहकारी और ग्रामीण बैंको का है तथा कृषि ऋण में समस्त बैको में किसान क्रेडिट कार्ड की भागीदारी सहकारी बैंको की सर्वोपरि है ।

## 4–आयोजना के निर्धारित मुख्य बिंदुओं का विवरण :

स्कीम 2341 के अर्न्तगत कार्यालय आयुक्त सहकारिता एॅव पंजीयक सहकारी संस्थॉए मध्यप्रदेश, भोपाल. के पत्र क्र/साख/योजना 937 दिनॉक 6.4.2018 के परिपालन में नोडल बैंक 1. अपेक्स बैक 38 जिला सहकारी बैक तथा 4524 पैक्स संस्थाओं से कवरेज अर्न्तगत कार्ययोजना में निम्न प्रमुख बिंदु में समाविष्ट थें :

1. 30 जून 2017 पर अल्पावधि फसल ऋण की कालातीत बकाया राशि तथा प्राकृतिक आपदा के कारण परिवर्तन के पात्र सदस्यों जो कि प्राथमिक कृषि समिति के सदस्य हो लागू थी ।

2. योजना का लाभ लेने हेतु कृषक द्वारा बकाया मूलधन का 50 प्रतिशत राशि एकमुश्त किश्तों में अंतिम तिथि तक जमा करने से शेष माफ कर नवीन ऋणमान अर्न्तगत सामान्य साख सीमा तत्काल स्वीकृत कर नियमित किसान को प्रदत्त सुविधॉए दी जावेगी ।

3. योजना की अवधि–30 जून 2018 से क्रमश: बढाकर अंतत: 30 नवम्बर 2018 की गई थी ।

4. योजनान्तर्गत ब्याज की राशियों का दायित्व भार–80:20 के अंकेक्षण अनुपात में राज्य शासन ऍव पैक्स संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । उक्त क्लेम का अंकेक्षण कराकर पैक्स ब्याज की छूट को सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत किया जावेगा जिससे एनपीए कम होगा । जिससे कृषक को नवीन ऋण की पात्रता आएगी ।

5. कार्ययोजना अर्न्तगत पैक्स समिति के अंगीकार का प्रस्ताव/ठहराव (तीन दिवस) योजना का प्रचार–प्रसार (सात दिवस) अपेक्स बैंक प्रारूपों को संधारण, समयसीमा (15 अप्रैल), एनसीएल स्वीकृति हेतु प्रस्तुत समयसीमा (25 अप्रैल) स्वीकृति उॅपरात समितीयों को प्रेषण (7 दिवस) गोसवारा 'यूटिलिटी पोर्टल' पर प्रेषण, समयसीमा (15 जून) इस प्रकार कार्य योजना की जिला/राज्य मॉनीटरींग कमेटी प्रतिदिन समीक्षा करना सुनिश्चित कर रही थी ।

**नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर 2018–19. के अनुसार :**

प्रस्तावित शोघ कार्य से संबंधित विशेष बिन्दुओं के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि विषय से संबंधित पूर्व साहित्य एवं पूर्व शोध कार्य का पूनरावलोकन किया जाना चाहिए जो इस प्रकार है :

सन 2022 तक कृषि ऋण को दोगुना किये जाने का प्रावधान है जिसके अनुरूप सहकारी बैंको ने अपनी कार्ययोजना निष्पादित की है तथा कुल अनुमानों में 77 प्रतिशत हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है तथा एनएसएसओ के सर्वे अनुसार मध्यप्रदेश में एक किसान के घर की औसत वार्षिक आय वर्ष 2003 पर रू. 017160 से बढकर 2013 तक रु. 74508 हुई जिससे सीएजीआर 15 प्रतिशत हुई ।

प्राथमिकता क्षेत्र के लिए विकेंद्रीकृत ऋण योजना तैयार करने का कार्य राज्य के प्रत्येक जिले की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) बनाने के साथ सभी विभागों / हितग्राहिंयों से विस्तृत चर्चा उपरॉत स्टेट फोकस पेपर से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2018–19 में उपरान्त रू. 153106.18 (स्त्रोत : नाबार्ड) अर्थात पिछले वर्ष से वृद्धि दर 14 प्रतिशत रही जो पाई चार्ट से भी स्पष्ट होगा –

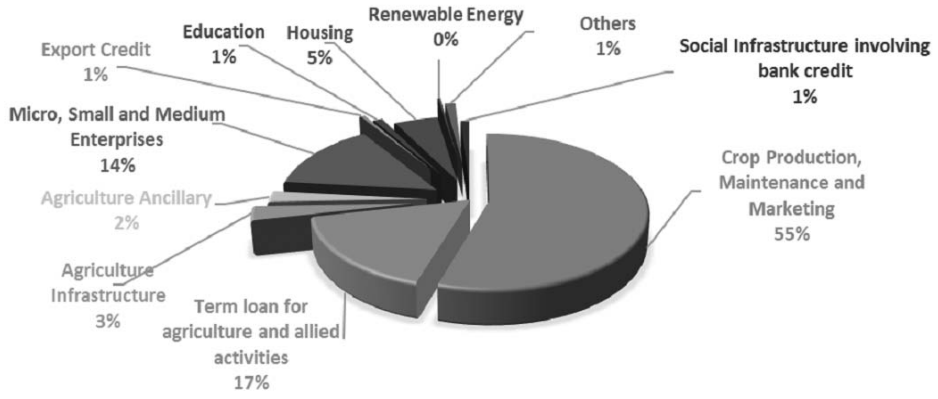


**BROAD SECTOR WISE PLP PROJECTIONS - 2018-19**

इसी प्रकार बजट 2018 की समीक्षा में विशेष परिदृश्य अर्न्तगत 11 लाख करोड. फार्म क्रेडिट के लिए तथा 2000 करोड. कृषि बाजार संरचना कोष के लिए प्रदाय किया गया । तथा बजट 2019 अर्न्तगत वित्त वर्ष में कुल परिव्यय 75000 करोड. पीएम किसान सम्मान निधी रु. 6000 ब्याज दर किसानो को तीन समान किश्तों में दिए जाने प्राकृतिक आपदा हेतु 2 प्रतिशत ब्याजदर की छूट, 3 प्रतिशत समय पर वापसी करने वाले किसानो को छूट तथा कृषि ऋणो को दुगना किए जाने आदि का निर्णय सहकारिता के लिए भी सहायक होगे ।

## विषय का संक्षिप्त पुनरावलोकन :

म. प्र. में त्रिस्तरीय अल्पकालिन सहकारी साख संरचना अर्न्तगत : 'समाधान योजना' के प्रभाव का अध्ययन अर्न्तगत 30 जून 2017 को अल्पावधि फसल ऋण की कालातीत बकाया राशि जो समझौता दिनॉक पर बाकी है तथा प्राकृतिक आपदा अर्न्तगत परिवर्तित ऋण राशि जो बकाया है उन पैक्स के कालातीत सदस्य योजना में शामिल होगे । यदि कालातीत सदस्य द्वारा मूलधन की आधी राशि एकमुश्त/किश्तो में जमा की जाए तो उनको तुरंत ही नवीन जीरो प्रति. ऋण की पात्रता होगी तथा ब्याज की माफी कर दी जावेगी जो राशि शासन द्वारा जमा की जाऐगी जिसमें ही ब्याज की चार किश्तों में सें एक किश्त जून–18 पर सरकार द्वारा दे दी गई है ।

## योजना से लाभ

1. रिजर्व/नाबार्ड बैंक द्वारा जारी नार्मस अर्न्तगत उक्त योजना से गैर निष्पादक परिससम्पत्तियॉ में कमी आऐगी तथा समिति/बैंक सुदृढ होगी । जो आकडो से भी स्पट हैं :

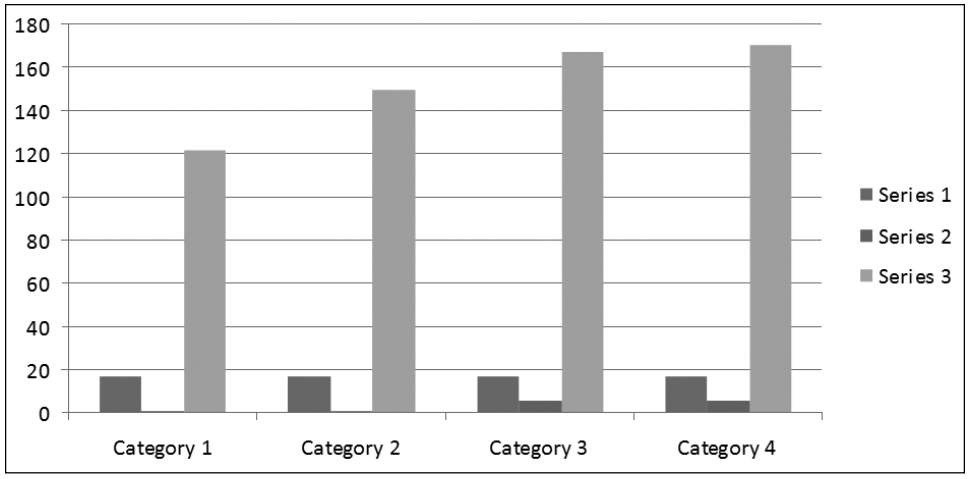


**कीवर्ड : नाबार्ड नेशनल कृषि एॅव ग्रामीण विकाश बैंक. (NABARD$^{1}/_{2}$)**

2. कालातीत किसान/हितग्राहियों को अकालातीत की श्रेणी में श्रेणीगत होकर केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में सहभागिता होगी तथा सामाजिक स्तर पर भी बढोतरी के साथ सम्मान में इजाफा होगा ।

उपरोक्त दण्ड आरेख से योजना की प्रगति अर्थात कालातीत ऋणों की वसूली (समाधान योजना) की प्रगति (अनुमानित) स्पष्ट है :

जो निम्नवत है :

| | कुल पात्र / कालातीत कृषको की संख्या (हजारो में) | जानकारी दिनॉक पर कृषको की संख्या जनके द्वारा राशि जमा की गई । (हजारो में) | जानकारी दिनॉक पर कृषको द्वारा राशि जमा की गई । (लाखों में) | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| वर्ग – 1 | 1652656 | 59001 (दि.31.5.18) | 12140.60 | अल्पावधि फसल ऋण एॅव मध्यावधि फसल ऋण शामिल है । |
| वर्ग – 2 | 1652656 | 80000 | 15000.00 | ..... |
| वर्ग – 3 | 1652656 | 532356 दि. 23.10.18 पर | 167595.84 | ..... |
| वर्ग – 4 | 1652656 | 536000 दि. 29.10.18 | 170360.00 | ..... |

## विषय क्षेत्र में अन्य अंशदान

केन्द्र सरकार नें सहकारी बैंको को मजबूत करने के लिए प्रोफेसर ए. बैद्यनाथन की अध्यक्षता में 'टॉस्क फोर्स ऑन रिवाइवल ऑफ को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट इन्स्टीटयूशन' का गठन किया तथा जिसके द्वारा मध्यप्रदेश की 4524 समितियों को (अ) वित्तीय सहायता (ब) वैधानिक और संस्थागत सुधार (स) प्रबन्धकीय गुणवत्ता में सुधार के उपायों में कमेटी ने एक पुनर्जीवन पैकेज के क्रियान्वयन हेतु तीन रूपों में सिफारिश क्रियान्वयन हेतु प्रेषित की गई जो निम्नवत DAP/MOU आपसी सहमति ज्ञापन द्वारा प्रतिपादित की जो मुख्यरूप से है –

(अ) वित्तीय सहायता-समितियों की संचित हानियों को समाप्त करने के लिए विशेष लेखा परीक्षा का प्रावधान कर समस्त हानियों को केद्र/राज्य सरकार द्वारा दिया भी गया है ।

पैकेज अर्न्तगत समिति को अपनी पूँजी की जोखिम वाली आस्तियों के (सीआरएआर) 7 प्रतिशत के स्तर को बनाए राने हेतु सहायता दी जायेगी तथा पैकेज में समिति तथा निदेशक मण्डल को वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास की लागत भी शामिल की गई । इस प्रकार वसूली 30 जून पर 30 प्रतिशत हेतु पात्रता समिति को होगी । अन्य...

**DAP Plan (विकासीय कार्ययोजना..) MOU आपसी सहमति ज्ञापन.**

(ब) वैधानिक और संस्थागत सुधार-भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार समितियों पर विवेकपूर्ण मॉपदण्ड (आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधॉन एॅव पूजी पर्याप्तता) लागू होगे ।

जमाकर्ता को भी मताधिकार हेतु 1000 रु. राशि कम से कम दो वर्ष जमा करने का प्रावधान ।

इस प्रकार उक्त सहायता समितियो को प्राप्त हुई उसके बाद अनेको योजनॉए यथा – ऋण माफी/राहत एकमुश्त सहायता आयोजना आदि के उपरांत समाधान योजना राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित की गई । जिसके परिणाम स्पष्ट है ।

## शोध प्रविधि/आकडो का स्रोत एंव प्रकार :

किसी भी समस्या/प्रभाव का अध्ययन का आधार समंक होते है । प्रस्तुत शोंध-प्रबंध में त्रिस्तरीय संरचना में प्रयुक्त/प्रेषित यथा उपलब्ध कराए गए प्राथमिक डाटा/ऑकडो का आधार बनाया गया है विशेषकर जमीनी आधार हेतु मध्यप्रदेश के तीन जिले-बालाघाट तथा आदिवासी जिला मंडला एवं डिंडोरी जिले की पैक्स समितियों का अघ्ययन शामिल किया गया है जिसमें आयोजना से संबधित कमियों/विशेषता को समाविष्ट किया गया है द्वितीयक आंकडे अनुसंधान रीति अर्न्तगत सहकारी संस्थॉओं की शीर्ष संस्थॉए यथा नाबार्ड बैक, नेफ्सकॉब मुबंई, अपेक्स बैक भोपाल, जिला बैक बालाघाट, समितियॉ कायदी भजियादण्ड एवॅ रामपायली तथा जिला बैंक मंडला समिति ककैया हिरदेनगर एॅव डिडोरी का समाधान

योजना के अध्ययन ऍव कमियॉ/प्रभाव का विश्लेषण उपलब्ध कराए गए आकडो के आधार पर ही प्रतिपादित है विशेषकर इन सहयोगी अधि./कर्म. का भी सराहनीय प्रयास ही सफलता से क्रियान्वयन में मील का पत्थर है ।

## डॉटा एकत्र करने के साधन तथा प्रतिदर्श चयन :

मध्यप्रदेश में 38 जिला सहकारी बैंक तथा 4524 सहकारी समितियॉ होने से विशाल नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक डॉटा का चयन पर्पसिव सेम्पलिंग विधि से किया गया जिसमें क्र. 1 से 6 तक की समिति का अध्ययन किय गया तथा यूटिलिटी पोर्टल का एकजाईकरण शीर्ष बैंक भोपाल स्तर से लिया गया ऍव दि 24.5.18 से 26.5.18 तक तीन जिलो को मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र./2980/दि. 17.10.16 अनुरूप भेट दी गई तथा आकडो का संकलन जिसमें वस्तु स्थिति की समीक्षा निम्नवत की गई :

दिनॉक 24.5.18 ऍव 25.5.18 पर. राशि : लाखो में/संख्या (वास्तविक स्थिति)

## एकमुश्त सहायता योजना (O.T.S.)

| | समिति का नाम | मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना अंगीकार समिति की प्रस्ताव/ ठहराव दिनांक | योजना का प्रचार प्रसार की सामग्री | सहमति पत्र प्राप्त किए कृषकों की संख्या | योजनांतर्गत कुल कृषकों की | | साख सीमा स्वीकृति का स्थिति विवरण | साख सीमा अंतर्गत ५०: जमा करने वाले कृषकों को वितरित नवीन ऋण स्वीकृत | | प्रगति की प्रतिदिन रिपोर्टिंग की स्थिति | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | संख्या | राशि | | संख्या | राशि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | रामपायली | 11.4.18 | पोस्टर आटो से डौडी .. | 72 | 433 | 203.55 | हॉ | nil | nil | प्रतिदिन/ पोर्टल पर हॉ | |
| 2 | भजियादण्ड | 10.4.18 | पोस्टर आटो से डौडी .. | 135 | 345 | 80.59 | हॉ | nil | nil | प्रति दिन/ पोर्टल पर हॉ | |
| 3 | कयदी | 18.4.18 | पोस्टर आटो से डौडी / जीवंत संपर्क | 221 | 348 | 100.18 | हॉ | nil | nil | प्रति दिन/ पोर्टल पर हॉ | |
| 4 | हिरदेनगर | 10.4.18 | पोस्टर आटो से डौडी .. | 154 | 1030 | 138.12 | नही | nil | nil | प्रति दिन/ पोर्टल पर हॉ | |
| 5 | ककैया | 11.4.18 | पोस्टर आटो से कोटवार डौडी / सतत संपर्क | 550 | 880 | 149.65 | हॉ | nil | nil | प्रति दिन/ पोर्टल पर हॉ | |
| 6 | डिडोरी समिति | 10.4.18 | पोस्टर आटो से डौडी .. | 29 | 643 | 21.57 | नही | nil | nil | विलंब से | |

**टीप :** इस प्रकार समितियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि योजना का क्रियान्वयन अपेक्षित स्तर से कम रहा विषेशकर आयुक्त पंजीयक के पत्र क्र. साख/योजना/2018/

1925/दिनॉक 13/7/18 द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली समिति तथा कर्मचारियों के प्रदर्शन को पुरुस्कृत करने के निर्देश के तारतम्य में प्रगति प्रगतिशील रही ।

**शोधप्रॉक्कलपनॉए :** कृषक सहकारी ऋण समाधान योजना अर्न्तगत. त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना अर्न्तगत पर प्रभाव का अध्ययन, विशेष संदर्भ, सहयोजना को आगे बढाया जावे आदि उक्त आधार पर विकास की गाथा का समावेशन हो सकें ।

**अध्ययन का क्षेत्र :** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल 'अपेक्स बैंक' के अर्न्तगत 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. और उनकी 826 शाखाए तथा 4524 पैक्स संस्थॉओं के माध्यम से शीर्ष बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल, पर समाधान योजना का एकजाईकरण कर मानिटरिंग की जा रही है जिसकी समीक्षा सहित तीन जिलों ऍव 5 समितियों की फिल्ड समीक्षा उपरांत आकडों का संकलन कर अध्ययन को मूर्त स्वरूप देकर शोध कार्य को समाप्त किया गया ।

## निष्कर्ष एवं सुझाव :

समाधान योजना के प्रभाव में सुम्जाव यह है कि योजना पर और अधिक कार्य समन्वय से किया जाये तो ताकि और अच्छे परिणाम आ सके है क्योंकि इससे कालातीत सदस्य, अकालातीत होकर मुख्य धारा से जुडकर जो परिणाम आए वह आकडो से भी स्पष्ट है । सहकारिता के लगभग संख्या 1652656 लाख कालातीत सदस्यों से ऋण़ वसूली जो एनपीए की श्रेणी मे श्रेणीगत थे और समाधान योजना के क्रियान्वयन उपरात जिनकी कुल वसूली, मूलधन 170362.94 (राशि लाखों मे) ऍव ब्याज 102324.58 लाख लगभग रही तथा किसान मुख्य धारा से जुड सका है । सुझाव यह है कि उक्त योजना को और आगे बढाया जाना समिति / सदस्य हित में हो सकता है ।

## कमिया :

उक्त योजना का प्रचार प्रसार अपेक्षित स्तर तक ना होने से युक्तिसंगत निपटारा नही हो सका तथा पैक्स संस्थाओ द्वारा कालातीत ऋण के 50 प्रतिशत भुगतान के विरूद्ध ऋण में अनावश्यक विंलम्ब की स्थिति से कालातीत सदस्य योजना से वंचित हो गए तथा समिति / बैंक में मानव-संसाधन की कमी भी अपेक्षित प्रभाव नही ला सकी तथा योजना को समाप्त करने से भी शेष बचे कालातीत सदस्य योजना का लाभ प्राप्त नही कर सकें ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने तथा आय को दोगुना वर्ष 2022 तक किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी उक्त योजना उपयोगी हो सकती है । प्रचार-प्रसार से वित्तीय लक्ष्य मिशन, ऋण-विवधिकरण जैसे कार्यक्रमों से अपेक्षित प्रगति को प्राप्त हो सकेंगें । साथ ही मार्केटिंक / प्रोसेसिंग यूनिट पर कार्य करने से भी अपेक्षित प्रगति संभव है ।

इस प्रकार आकडों पर जाए तो प्रदेश में पैक्स की वित्त भागीदारी 33.5 प्रतिशत ही रही । सफलता की कहानी अर्न्तगत समाधान योजना कृषको को ऍव समिति दोनों ही स्तर पर फलीभूत रही ।

## संदर्भ ऍव संदर्भ ग्रंथ की सूची वेबसाइटे :

1 राज्य फोकस पेपर वर्ष 2017-18 ऍव 2018-19 ।

2 यूनियन बजट वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 ।

3 म. प्र. आयुक्त ऍव पंजी. सह. संस्थाए भोपाल के योजना के संबंधित परिपत्र/ वेबसाइटें ।

4 नैफ्सकॉब मुबंई की 55 वी वार्षिक रिपोर्ट ।

5 सहकारी प्रंबंध संस्थॉन भोपाल की रिपोर्ट ।

6 वेबसाईट रिजर्व / नाबार्ड बैंक तथा आरसीएसएम. पी. गव्हॅरमेंट ऍव अपेक्स बैंक की वेब से संकलन ।

7 अन्य पत्र / पत्रिकॉए जर्नल आदि.

❐❐❐❐